

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी - मानवेन्द्र जायसवाल

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
तारीख रजू 29.07.2020 निर्णय दिनांक 07.10.2020

मिसल संख्या
08/2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम्

श्री महेश पुत्र बाबू ब्राह्मण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री महेश पुत्र बाबू ब्राह्मण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि आराजी खसरा नम्बर 405 मे रकबा 0.01 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से बाजरा फसल कर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 06.08.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जरिये वकील अपना जबाव पेश किया। जबाव में गैरसायल द्वारा किसी भी प्रकार का नाजायज अतिक्रमण नहीं करना जाहिर किया। जबाव के साथ गैरसायल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य एवं सबूत अपने अतिक्रमण ना होने के संबंध में पेश नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री महेश पुत्र बाबू ब्राह्मण निवासी सेवला तह0 बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम सेवला तहसील बयाना की गै.मु. की भूमि खसरा नम्बर 405 मे रकबा 0.01 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 0.08 रूपये का 50 गुना राशि 4 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोक़े से बेदखल कर फसल एवं अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर निलायन करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली, फसल एवं सामग्री जप्ती, नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा माँग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)